

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक एफ 53/1/2012/19/यो/४१-४

भोपाल, दिनांक 05.02.2013

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल:
2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
..... परिक्षेत्र,
3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी.एम.यू.,
लोक निर्माण विभाग,
सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
..... मण्डल
5. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
..... संभाग

विषय:- कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला लगाने एवं पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी अमले की तैनाती बाबत ।

राज्य शासन एतद्वारा आदेशित करता है कि कार्य के अनुबन्धानुसार निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु स्थल पर लगायी गई प्रयोगशाला एवं कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तैनात तकनीकी अमले का सत्यापन रुपये 5.00 (पाँच) करोड़ लागत (पी.ए.सी.) तक के अनुबन्ध हेतु अधीक्षण यंत्री द्वारा एवं रुपये 5.00 (पाँच) करोड़ या उससे अधिक लागत (पी.ए.सी.) के अनुबन्ध हेतु मुख्य अभियंता द्वारा किया जावेगा । कार्य पर प्रथम भुगतान उक्तानुसार सत्यापन के उपरान्त ही किया जा सकेगा ।

उपरोक्त निर्देश पी.आई.यू. के कार्यों में भी समान रूप से लागू होंगे ।

क्रमांक ५१४
५.४.१३
५.४.१३

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लो.नि.वि.

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग मंडल क्रमांक -2. भोपाल

क्रमांक /कार्य/ /मंडल-2/ भोपाल दिनांक / /

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग रायसेन/राजगढ़/सीहोर/विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. सामान्य शाखा मंडल कार्यालय ।

अधीक्षण यंत्री
लो.नि.वि.मंडल क्र.-2 भोपाल